म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/1-6/सीसीटीव्ही/ 98 भोपाल, दिनांक 27/08/2018

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, ... (समस्त)

विषय:- संभागन्तर्गत मण्डी समितियों में सीसीटीव्ही कैमरे क्रय कर स्थापना एवं संचालन हेतु अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक-862 दिनांक 7.2.2018, पत्र क्रमांक-229-230 दिनांक 23.5.2018, पत्र क्रमांक-314-315 दिनांक 7.6.2018, पत्र क्रमांक-66-67 दिनांक-21.6.2017, पत्र क्रमांक-63-64 दिंनाक 3.7.2018 एवं पत्र क्रमांक-81 दिनांक 10.8.2018

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा संभागन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में सीसीटीव्ही कैमरे क्रय कर स्थापना एवं संचालन हेतु अनुदान स्वीकृत करने के पुनरीक्षित प्रस्ताव पूर्ण जानकारी एवं अनुशंसा सहित दिनांक 14.8.2018 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे।

समय-समय पर दिये गये उपरोक्त निर्देशों के बावजूद भी आपके द्वारा उक्त संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नही की जा रही है, मात्र पत्राचार किया जा रहा है, जिसके कारण सी.सी.टी.व्ही. कैमरे क्रय कर स्थापना एवं संचालन में प्रगति नही हो रही है।

दिनांक 20.8.2018 को विडियो कान्फ्रेसिंग की बैठक में चर्चा के दौरान आपके द्वारा अवगत कराया गया कि संभागन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों (संवर्ग 'ग' एवं 'घ') को सी.सी.टी.व्ही कैमरे क्रय कर स्थापन के संबंध में अनुदान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है। उक्त संबंध में कोई भी प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त नही हुये है। अतः उपरोक्त जारी दिशा निर्देशानुसार **निम्न जानकारी सहित एक्जाई प्रस्ताव** अपने स्पष्ट एवं अनुशंसा सहित **विशेष वाहक के हस्ते** अनिवार्य रूप से तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करे :-

01. ''ग'' एवं ''घ'' संवर्ग जिनमें चालू निधि उपलब्ध है, उन मंडियों को भी ''अनुदान की पात्रता नही है''। अतः उन मण्डी समितियों को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी नियम निर्देशों के अन्तर्गत स्वीकृति दी जाकर सीसीटीव्ही क्रय हेतु संभागन्तर्गत तकनीकी कार्यालयों को राशि अंतरित कराने के निर्देश मण्डी समितियों को जारी करे।

02. ''ग'' एवं ''घ'' संवर्ग की जिन मण्डी समितियों में ''चालू निधि'' में राशि उपलब्ध नही है उनके संबंध में परीक्षण कर निम्नानुसार जानकारी के साथ अनुदान प्रस्ताव भिजवायें :-

(a) चालू निधि का विगत माह का आय-व्यय पत्रक तथा बैंक रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट की प्रति।

(b) सीसीटीव्ही क्रय करने के संबंध में मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव/ठहराव की प्रति।

(c) विगत 05 वर्षों की आय-व्यय/विगत 01 वर्ष में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि की स्थिति।

(d) सीसीटीव्ही कैमरे क्रय हेतु अनुदान स्वीकृति के संबंध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश पत्र क्रमांक/बोर्ड/ ऋण/38-1/सीसीटीव्ही/66 दिनांक 21.6.2017 अनुसार वांछित जानकारी।

03. सीसीटीव्ही कैमरे क्रय करने हेतु अनुदान की 5.00 लाख अधिकतम सीमा निर्धारित है। अतः जिन मंडियों में राशि उपलब्ध है, उसको कम करते हुये अनुदान का प्रस्ताव भिजवाये।

25/8/2018

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/1-6/सीसीटीव्ही/ 99 भोपाल, दिनांक 27/08/2018

प्रतिलिपिः-

(1) निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) प्रमुख अभियंता, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

(3) कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग ग्वालियर/ मुरैना/भोपाल/होशंगाबाद-इटारसी/इन्दौर/खरगौन/सागर/उज्जैन/मंदसौर/जबलपुर/सिवनी/रीवा/ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संभागन्तर्गत कार्यरत मण्डी समितियों से अनुदान का प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्ताव आंचलिक संयुक्त/उपसंचालक के अभिमत सहित अग्रेषित करे। कृपया सीधे मण्डी बोर्ड को अग्रेषित न करे।

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल